दावा निपटान प्रक्रिया प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय) के अंतर्गत

खाताधारक के नामांकित व्यक्ति(यों) को रु.2,00,000 की दावा राशि देय है. व्यक्ति को रिस्क कवर उसकी 18 वर्ष (पूर्ण) की आयु से वार्षिक नवीकरण दिनांक पर 55 वर्ष की आयु तक पहुँचने (करीबी जन्मदिन) यानि कि 55 वर्ष की आयु तक पहुँचने (करीबी जन्मदिन) पर पात्रता समाप्त हो जाएगी और बैंक के साथ खाता बंद करने या बीमा को चालू रखने के लिए शेषराशि की अपर्याप्तता तक प्रदान किया जाएगा।

रु.2,00,000 की दावा राशि का निपटान इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। प्रक्रिया का पालन नीचे बताए अनुसार किया जाएगा :

नामांकित व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले चरण

1. सदस्य जिस बैंक के ''बचत खाते'' के माध्यम से कवर्ड था, नामांकित व्यक्ति को सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ उस बैंक में जाना चाहिए
2. नामांकित व्यक्ति को बैंक दावा प्रपत्रऔर डिसचार्ज रसीद लेनी चाहिए या वह इंडियाफर्स्ट लाइफ की वेबसाइट से प्रपत्र डाउनलोड कर सकता/सकती है
3. नामांकित व्यक्ति को दावा प्रपत्रऔर डिसचार्ज रसीद पूरी तरह भरना चाहिए
4. नामांकित व्यक्ति को मृत्यु प्रमाणपत्र के साथदावा प्रपत्र और डिसचार्ज रसीद और नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते के कैंसल्ड चेक की प्रति बैंक में जमा करानी चाहिए

बैंक द्वारा किए जाने वाले चरण

1. बैंक को मृत्यु की सूचना मिलने पर अपने रिकॉर्ड्र्स की जाँच करके पता लगाना चाहिए कि सदस्य का कवरेज चालू था या नहीं यानि कि सदस्य की मृत्यु से पहले वार्षिक प्रीमियम नवीकरण दिनांक पर कवरेज के लिए प्रीमियम काटा गया और इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को प्रेषित किया गया था या नहीं
2. अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड्र्स से दावा प्रपत्र और नामांकित व्यक्ति के विवरणों का सत्यापन करेगा
3. नामांकित व्यक्ति द्वारा जमा कराए गए प्रपत्रदावा प्रपत्रऔर डिसचार्ज रसीद में क्रमशः संलग्न परिशिष्टों के अनुसार बैंक के लिए निर्दिष्ट खंडों को भरेगा
4. निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दावा सूचना को इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य कार्यालय में जमा कराएगा
    a. पूरी तरह भरा हुआ दावा प्रपत्र
    b. मृत्यु प्रमाणपत्र
    c. नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते के कैंसल्ड चेक की प्रति के साथ डिसचार्ज रसीद

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.,
301, 'B' Wing, The Qube, Infinity Park, Dindoshi - Film City Road,
Malad (East), Mumbai - 400 097, CIN: U66010MH2008PLC183679.
Tel: +91 22 6165 8700 Fax: +91 22 6270 0600 Toll Free: 1800-209-8700
E-mail: customer.first@indiafirstlife.com Website: www.indiafirstlife.com

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का पता

पीएमजेजेबीवाय – *दावा विभचक्ष*

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

301, 'बी' विंग, द क्यूबे, इन्फिनिटी पार्क,

दिंडोशी – फिल्म सिटी रोड,

मालाड (पूर्व), मुम्बई–400 097.

Contact Person: Mr. Shankar Patil

Phone No.: 022-3325 9743

Mail ID: claims.pmjjby@indiafirstlife.com

इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस द्वारा किए जाने वाले चरण

1. सत्यापन करेगा कि दावा प्रपत्र पूरा भरा हुआ है और दावा सभी आवश्यकताओं के साथ जमा कराया गया है. यदि ऐसा न हो, तो छूटे हुए विवरणों के साथ संबंधित बैंक को वापस भेजेगा.
2. यदि दावा स्वीकार्य होगा, तो दावों की टीम जाँच करेगी कि सदस्य का कवरेज चालू है और किसी अन्य खाते के जरिए मृत्यु दावे का निपटान नहीं हुआ है
3. उपरोक्त प्रक्रिया से सुनिश्चित होगा कि किसी अन्य खाते के जरिए पीएमजेजेबीवाय के अंतर्गत कोई डुप्लीकेट दावा नहीं है. यदि दावे का निपटान हो गया होगा, तो नामांकित व्यक्ति को उसके अनुसार सूचित किया जाएगा और एक प्रति बैंक को भी भेजी जाएगी
4. यदि कवरेज चालू था और बताए गए सदस्य के लिए कोई दावा निपटान नहीं हुआ है, तो नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते के लिए भुगतान जारी कर दिया जाएगा और एक पत्र नामांकित व्यक्ति को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति बैंक को भी भेजी जाएगी.
5. दावों का भुगतान केवल नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) जरिए किया जाएगा

यदि दावाकर्ता द्वारा दावा प्रपत्र सीधे इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के पास जमा कराया गया है, तो इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस संबंधित बैंक द्वारा किए जाने वाले आवश्यक सत्यापन करने के लिए उसे तुरंत मृतक खाताधारक के बैंक में सीधे भेज देगा. दावे के प्रक्रियाकरण के लिए संबंधित बैंक की शाखा दावा प्रपत्र इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य कार्यालय भेज देगी.